

वित्त मंत्रालय  
मांग संख्या 31  
वित्तीय सेवा विभाग

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
<b>कुल</b>	1035.41	82198.11	83233.52	1474.97	27600.05	29075.02	12180.57	39650.01	51830.58	3710.78	47800.03	51510.81
<i>वसूलियां</i>	-1.10	-0.03	-1.13	...	-7950.00	-7950.00	...	-6000.00	-6000.00	...	-2000.00	-2000.00
<i>प्राप्तियां</i>	-210.00	-75847.60	-76057.60	-0.01	-10000.01	-10000.02	-125.00	-20000.00	-20125.00	-0.01	-20000.01	-20000.02
<b>निवल</b>	824.31	6350.48	7174.79	1474.96	9650.04	11125.00	12055.57	13650.01	25705.58	3710.77	25800.02	29510.79
क. वसूलियों और प्राप्तियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
<b>केंद्र का व्यय</b>												
<b>केन्द्र का स्थापना व्यय</b>												
1. सचिवालय- सामान्य सेवाएं	59.65	...	59.65	69.99	...	69.99	58.15	...	58.15	58.84	...	58.84
	-0.02	...	-0.02	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	59.63	...	59.63	69.99	...	69.99	58.15	...	58.15	58.84	...	58.84
2. निदेशन और प्रशासन												
2.01 विशेष न्यायालय का कार्यालय	2.65	...	2.65	3.72	...	3.72	2.86	...	2.86	3.05	...	3.05
2.02 अभिरक्षक का कार्यालय	7.64	...	7.64	10.23	...	10.23	8.42	...	8.42	8.61	...	8.61
	-0.01	...	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	7.63	...	7.63	10.23	...	10.23	8.42	...	8.42	8.61	...	8.61
2.03 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी)	124.35	...	124.35	142.00	...	142.00	142.40	...	142.40	141.34	...	141.34
	-0.14	...	-0.14	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	124.21	...	124.21	142.00	...	142.00	142.40	...	142.40	141.34	...	141.34
2.04 न्यायालय परिसमापक का कार्यालय	0.11	...	0.11	0.13	...	0.13	0.07	...	0.07	0.03	...	0.03
<i>जोड़- निदेशन और प्रशासन</i>	134.60	...	134.60	156.08	...	156.08	153.75	...	153.75	153.03	...	153.03
<b>जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय</b>	<b>194.23</b>	...	<b>194.23</b>	<b>226.07</b>	...	<b>226.07</b>	<b>211.90</b>	...	<b>211.90</b>	<b>211.87</b>	...	<b>211.87</b>
<b>केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>												
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण</b>												
3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूंजीकरण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)												
4.01 सकल बजटीय सहायता	...	65443.00	65443.00	...	0.01	0.01	...	20000.00	20000.00	...	20000.00	20000.00
4.02 पीएसबी को विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए पूरा	...	-65443.00	-65443.00	...	-0.01	-0.01	...	-20000.00	-20000.00	...	-20000.00	-20000.00

(₹ करोड़)

		वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
		राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
करके घटाएं													
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण</b>		...	...	...	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>
5. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अलावा पुनः पूंजीकरण बॉन्ड													
5.01 कुल बजटीय सहयोग (आईडीबीआई बैंक लिमिटेड)		...	4557.00	4557.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5.02 विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए पूरा करके घटाया गया		...	-4557.00	-4557.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>एक्सिस बैंक</b>													
6. भारत का एक्सिस बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान		...	950.00	950.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1500.00	1500.00
7. एक्सिस बैंक का पुनःपूंजीकरण (बांडों के माध्यम से)													
7.01 सकल बजटीय सहायता		...	550.00	550.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7.02 विशेष प्रतिभूतियों के निर्गम के जरिए पूरा करके घटाया गया		...	-550.00	-550.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-एक्सिस बैंक</b>		...	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1300.00</b>	<b>1300.00</b>	...	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>
8. बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण													
8.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण		...	...	...	...	6950.00	6950.00	...	5000.00	5000.00	...	...	...
8.02 सकल बजटीय सहायता		...	2500.00	2500.00	...	6950.00	6950.00	...	9950.00	9950.00	...	...	...
8.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम		...	...	...	...	-6950.00	-6950.00	...	-5000.00	-5000.00	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	<b>2500.00</b>	<b>2500.00</b>	...	<b>6950.00</b>	<b>6950.00</b>	...	<b>9950.00</b>	<b>9950.00</b>	...	...	...
<b>वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>													
9. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूंजी में अभिदान													
9.01 राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण		...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00
9.02 सकल बजटीय सहायता		...	1500.00	1500.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	2000.00	2000.00
9.03 राष्ट्रीय निवेश निधि से पूरी की गई रकम		...	...	...	...	-1000.00	-1000.00	...	-1000.00	-1000.00	...	-2000.00	-2000.00
	<i>निवल</i>	...	<b>1500.00</b>	<b>1500.00</b>	...	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	...	<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>	...	<b>2000.00</b>	<b>2000.00</b>
10. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूंजीकरण		...	700.51	700.51	...	200.01	200.01	...	200.00	200.00	...	1200.00	1200.00
11. सूक्ष्म इकाई विकास पुनर्वित्त एजेंसी (सुद्रा बैंक) के लिए इक्विटी पूंजी		...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	-0.03	-0.03	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	<i>निवल</i>	...	<b>-0.03</b>	<b>-0.03</b>	...	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	...	...	...	...	...	...
12. इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लि. (आईआईएफसीएल) को इक्विटी सहायता		...	500.00	500.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13. आईआईएफसीएल इक्विटी सहायता बॉन्ड के जरिए													
13.01 सकल बजटीय सहायता		...	5297.60	5297.60	...	10000.00	10000.00	...	...	...	...	0.01	0.01
13.02 घटाएं-प्रतिभूतियां जारी करने के माध्यम से प्राप्त राशि		...	-5297.60	-5297.60	...	-10000.00	-10000.00	...	...	...	...	-0.01	-0.01
	<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
14. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इकट्टी सहायता	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	100.00	100.00
15. विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
16. आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान	...	...	...	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	10.00	...	10.00
17. इंडो स्विस् कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	0.85	...	0.85	0.86	...	0.86	0.85	...	0.85	0.84	...	0.84
18. आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सब्सिडी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
19. भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
20. दबावग्रस्त अस्तित्व स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन												
20.01 सकल बजटीय सहायता	210.00	...	210.00	0.01	...	0.01	125.00	...	125.00	0.01	...	0.01
20.02 घटाएं - दबाव वाली परिसंपत्तियों के स्थिरीकरण कोष की वसूली	-210.00	...	-210.00	-0.01	...	-0.01	-125.00	...	-125.00	-0.01	...	-0.01
<i>निवल</i>	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़-वित्तीय संस्थाओं को सहायता</b>	<b>0.85</b>	<b>2900.48</b>	<b>2901.33</b>	<b>20.88</b>	<b>1400.03</b>	<b>1420.91</b>	<b>20.85</b>	<b>1400.00</b>	<b>1420.85</b>	<b>10.86</b>	<b>3300.01</b>	<b>3310.87</b>
<b>सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>												
21. प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
22. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान	338.69	...	338.69	299.00	...	299.00	273.00	...	273.00	153.00	...	153.00
23. वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सब्सिडी	117.01	...	117.01	115.10	...	115.10	45.05	...	45.05	65.00	...	65.00
<i>निवल</i>	-0.93	...	-0.93	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<i>निवल</i>	116.08	...	116.08	115.10	...	115.10	45.05	...	45.05	65.00	...	65.00
24. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता)	...	...	...	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
25. प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई)	135.66	...	135.66	180.00	...	180.00	152.77	...	152.77	345.02	...	345.02
<b>जोड़-सामाजिक सुरक्षा स्कीमें</b>	<b>590.43</b>	...	<b>590.43</b>	<b>604.11</b>	...	<b>604.11</b>	<b>475.82</b>	...	<b>475.82</b>	<b>568.03</b>	...	<b>568.03</b>
<b>क्रेडिट गारंटी निधियां</b>												
26. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	500.00	...	500.00	500.00	...	500.00	2500.00	...	2500.00
27. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	5.00	...	5.00
28. स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
29. स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जानगरूकता पैदा करना और प्रचार	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
30. फैक्ट्रिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा)	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	0.01	...	0.01
<b>जोड़-क्रेडिट गारंटी निधियां</b>	<b>15.00</b>	...	<b>15.00</b>	<b>615.01</b>	...	<b>615.01</b>	<b>615.00</b>	...	<b>615.00</b>	<b>2610.01</b>	...	<b>2610.01</b>
31. पात्र एमएसएमई उधारियों के लिए गारंटी आपातकालीन साख लाइन सुविधा हेतु (जीईसीएल) राष्ट्रीय साख गारंटी नियासी कंपनी हेतु सहायता (एनसीजीटीसी)	...	...	...	...	...	...	4000.00	...	4000.00	...	...	...

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2019-2020			बजट 2020-2021			संशोधित 2020-2021			बजट 2021-2022		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
32. पाश्र्विक साख गारंटी स्कीम (पीसीजीएस) के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को प्रभावी बनाने पर दावों के निपटान हेतु ऋण	...	...	...	...	...	...	...	500.00	500.00	...	1000.00	1000.00
33. विशेष लिक्विडिटी स्कीम (एसएलएस) के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को प्रभावी बनाने पर दावों के निपटान हेतु ऋण	...	...	...	...	...	...	...	500.00	500.00	...	...	...
34. शिशु ऋण के तुरत पुनर्भुगतान (सन्सिडी) पर 2 प्रतिशत के ब्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सन्सिडी	...	...	...	...	...	...	1232.00	...	1232.00	310.00	...	310.00
35. एनएबीएफआईडी को पूंजी सहायता	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	20000.00	20000.00
36. लोन स्थगन हेतु संयोजित ब्याज सहायता स्कीम	...	...	...	...	...	...	5500.00	...	5500.00	...	...	...
<b>जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं</b>	<b>606.28</b>	<b>6350.48</b>	<b>6956.76</b>	<b>1240.00</b>	<b>9650.04</b>	<b>10890.04</b>	<b>11843.67</b>	<b>13650.01</b>	<b>25493.68</b>	<b>3498.90</b>	<b>25800.02</b>	<b>29298.92</b>
<b>केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय</b>												
<b>स्वायत्त निकाय</b>												
37. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	23.80	...	23.80	8.89	...	8.89	...	...	...	...	...	...
<b>कुल जोड़</b>	<b>824.31</b>	<b>6350.48</b>	<b>7174.79</b>	<b>1474.96</b>	<b>9650.04</b>	<b>11125.00</b>	<b>12055.57</b>	<b>13650.01</b>	<b>25705.58</b>	<b>3710.77</b>	<b>25800.02</b>	<b>29510.79</b>
<b>ख. विकास शीर्ष</b>												
<b>सामान्य सेवाएं</b>												
1. अन्य राजकोपीय सेवाएं	10.28	...	10.28	13.95	...	13.95	11.28	...	11.28	11.66	...	11.66
2. सचिवालय-सामान्य सेवाएं	59.63	...	59.63	69.99	...	69.99	58.15	...	58.15	58.84	...	58.84
3. अन्य प्रशासनिक सेवाएं	148.01	...	148.01	150.89	...	150.89	142.40	...	142.40	141.34	...	141.34
<b>जोड़-सामान्य सेवाएं</b>	<b>217.92</b>	<b>...</b>	<b>217.92</b>	<b>234.83</b>	<b>...</b>	<b>234.83</b>	<b>211.83</b>	<b>...</b>	<b>211.83</b>	<b>211.84</b>	<b>...</b>	<b>211.84</b>
<b>सामाजिक सेवाएं</b>												
4. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	590.43	...	590.43	604.11	...	604.11	475.82	...	475.82	568.03	...	568.03
<b>जोड़-सामाजिक सेवाएं</b>	<b>590.43</b>	<b>...</b>	<b>590.43</b>	<b>604.11</b>	<b>...</b>	<b>604.11</b>	<b>475.82</b>	<b>...</b>	<b>475.82</b>	<b>568.03</b>	<b>...</b>	<b>568.03</b>
<b>आर्थिक सेवाएं</b>												
5. कृषि वित्तीय संस्थान	0.85	...	0.85	20.86	...	20.86	20.85	...	20.85	10.84	...	10.84
6. उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	...	...	...	0.02	...	0.02	1232.00	...	1232.00	310.02	...	310.02
7. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थान	15.00	...	15.00	615.01	...	615.01	10115.00	...	10115.00	2610.01	...	2610.01
8. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.11	...	0.11	0.13	...	0.13	0.07	...	0.07	0.03	...	0.03
9. कृषि वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	2200.51	2200.51	...	1200.01	1200.01	...	1200.00	1200.00	...	3200.00	3200.00
10. उद्योगों और खनिजों पर अन्य पूंजी परिव्यय	...	1650.00	1650.00	...	1500.00	1500.00	...	1500.00	1500.00	...	1600.00	1600.00
11. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	...	2499.97	2499.97	...	6950.02	6950.02	...	9950.01	9950.01	...	20000.01	20000.01
12. उद्योग और खनिजों को अन्य ऋण	...	...	...	...	0.01	0.01	...	...	...	...	0.01	0.01
13. सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों के लिए ऋण	...	...	...	...	...	...	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	1000.00
<b>जोड़-आर्थिक सेवाएं</b>	<b>15.96</b>	<b>6350.48</b>	<b>6366.44</b>	<b>636.02</b>	<b>9650.04</b>	<b>10286.06</b>	<b>11367.92</b>	<b>13650.01</b>	<b>25017.93</b>	<b>2930.90</b>	<b>25800.02</b>	<b>28730.92</b>
<b>कुल जोड़</b>	<b>824.31</b>	<b>6350.48</b>	<b>7174.79</b>	<b>1474.96</b>	<b>9650.04</b>	<b>11125.00</b>	<b>12055.57</b>	<b>13650.01</b>	<b>25705.58</b>	<b>3710.77</b>	<b>25800.02</b>	<b>29510.79</b>

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़		आं. ब. बा. सं.	जोड़	
<b>ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश</b>												
1. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1500.00	...	1500.00	1000.00	...	1000.00	1000.00	...	1000.00	2000.00	...	2000.00
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूजीकरण	700.51	...	700.51	200.01	...	200.01	200.00	...	200.00	1200.00	...	1200.00
3. भारतीय निर्यात आयात बैंक	1500.00	...	1500.00	1300.00	...	1300.00	1300.00	...	1300.00	1500.00	...	1500.00
4. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूजीकरण	65443.00	...	65443.00	0.02	...	0.02	20000.00	...	20000.00	20000.00	...	20000.00
5. माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफिनेंस एजेंसी	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
6. इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	200.00	...	200.00	100.00	...	100.00
7. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	5797.60	...	5797.60	10000.00	...	10000.00	...	...	...	0.01	...	0.01
8. बीमा कम्पनियों का पुनः पूंजीकरण	2500.00	...	2500.00	6950.00	...	6950.00	9950.00	...	9950.00	...	...	...
9. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड का पुनर्पूजीकरण	4557.00	...	4557.00	...	...	...	...	...	...	...	...	...
<b>जोड़</b>	<b>82198.11</b>	<b>...</b>	<b>82198.11</b>	<b>19650.04</b>	<b>...</b>	<b>19650.04</b>	<b>32650.00</b>	<b>...</b>	<b>32650.00</b>	<b>24800.01</b>	<b>...</b>	<b>24800.01</b>

(₹ करोड़)

1. **सचिवालय- सामान्य सेवाएं:** यह प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिवालय व्यय के लिए है।
- 2.01. **विशेष न्यायालय का कार्यालय:** यह प्रावधान प्रतिभूतियों के लेन-देन में हुई अनियमितताओं की जांच के लिए विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत स्थापित विशेष न्यायालय के कार्यालय के लिए है।
- 2.02. **अभिरक्षक का कार्यालय:** यह प्रावधान कस्टोडियन कार्यालय के लिए है।
- 2.03. **ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी):** यह प्रावधान ऋण वसूली अधिकरण के लिए है।
- 2.04. **न्यायालय परिसमापक का कार्यालय:** यह प्रावधान न्यायालय परिसमापक के कार्यालय के लिए है।
3. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनःपूजीकरण:** हाल के प्रदर्शन के आधार पर समीक्षा के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आगे की पूंजी को शामिल करने के लिए टोकन प्रावधान किया गया है।
4. **सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण (बांडों के माध्यम से):** बांड के निर्गम के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पुनः पूंजी डालने के लिए यह प्रावधान किया जाता है।
6. **भारत का एक्सिम बैंक की शेयर पूंजी में अभिदान:** यह प्रावधान बैंक की चुकता पूंजी को इसकी प्राधिकृत पूंजी के स्तर तक बढ़ाने के लिए इक्विटी सहायता/अभिदान के रूप में एक्जिम बैंक के लिए है।
9. **राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) की शेयर पूंजी में अभिदान:** कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की पूंजी के साझे को अंशदान हेतु प्रावधान है।
10. **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का पुनर्पूजीकरण:** यह प्रावधान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनःपूजीकरण के लिए है।
13. **आईआईएफसीएल इक्विटी सहायता बांड के जरिए:** प्रतिभूतियों का निर्गम (बांड के जरिए) के द्वारा आईआईएफसीएल को इक्विटी सहायता के लिए प्रावधान।
14. **भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता:** यह प्रावधान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को व्यापार कार्यक्रम और पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इक्विटी समर्थन के लिए है।
15. **विदेशी सहायता संघटकों के लिए आईसीआईसीआई बैंक को अनुदान:** यह प्रावधान भारत सरकार और जर्मनी सरकार के बीच द्विपक्षीय ऋण समझौते के अंतर्गत क्रेडिटएन्स्टाल्ट फर वाइडरोफआउट (केएफडब्ल्यू ) द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को प्रदत्त लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए व्याज विभेदक निधि (आईडीएफ) के अंतर्गत जमा की गई आईसीआईसीआई बैंक के लिए अनुदान के भुगतान हेतु है।

16. **आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान:** यह प्रावधान आधार समर्थित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन निधि (एफआईएफ) में अंशदान के लिए है।

17. **इंडो स्विस कॉर्पोरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान:** यह प्रावधान इंडो स्विस कोआपरेशन VI परियोजना करार के अंतर्गत नाबार्ड के दावों के निपटान के लिए भुगतान हेतु है।

18. **आवास ऋण पर ब्याज सहायता के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक को सस्मिडी:** यह प्रावधान आवास ऋण पर ब्याज सबवेंशन के लिए नेशनल हाउसिंग बैंक को सहायता देने के लिए है।

19. **भारत में निम्न आय आवास वित्त के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को विश्व बैंक की सहायता:** यह प्रावधान भारत में सूक्ष्म वित्त के विस्तार में सुधार लाने के लिए भारत में निम्न आय आवास वित्त पर विश्व बैंक समर्थित परियोजना के लिए है।

20. **दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएसएफ) को जारी प्रतिभूतियों का मोचन:** यह प्रावधान स्ट्रेड एसेट्स स्टेबलाइजेशन फंड को जारी की गई प्रतिभूतियों के मोचन के लिए है।

21. **प्रधानमंत्री जन-धन बीमा योजना (पीएमजेडीबीवाई) को सहायता:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत रूपे कार्ड धारकों के किस्त के अंशदान के लिए है।

22. **अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सरकार का सह-अंशदान:** यह प्रावधान सरकार को सह अंशदान, एग्रीगेटर प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को निधि सहयोग एवं अटल पेंशन योजना के तहत संवर्धन अभियान।

23. **वरिष्ठ नागरिकों हेतु पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सस्मिडी:** यह प्रावधान भारतीय जीवन बीमा निगम को पॉलिसी धारकों को पेंशन/वार्षिकी के लिए ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान तथा पॉलिसी धारकों के नामिती को खरीद मूल्य के बारबर एकमुश्त राशि के भुगतान के लिए है।

24. **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) (प्रचार-प्रसार तथा जागरूकता):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (पीएमजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के प्रचार और जागरूकता के लिए है।

25. **प्रधान मंत्री वय वंदन योजना (पीएमवीवीआई):** यह प्रावधान बाजार की अनिश्चित स्थिति के कारण 60 वर्ष एवं उससे ऊपर के वयोवृद्ध व्यक्तियों के ब्याज की आय के भविष्य में गिरावट के लिए उन्हें संरक्षण देने हेतु भारतीय जीवन बीमा निगम को ब्याज की आर्थिक सहायता के भुगतान के लिए है।

26. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋण को क्रेडिट गारंटी निधि हेतु राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को सहायता प्रदान करने के लिए है।

27. **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा लिमिटेड द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार:** यह प्रावधान मुद्रा लिमिटेड द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।

28. **स्टैण्ड-अप इंडिया (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान अनु.जाति/अनु.जनजाति तथा महिला उद्यमियों द्वारा ग्रीन फील्ड उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टैंडअप इंडिया पहल स्थापित करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है।

29. **स्टैण्डअप इंडिया और सिडबी द्वारा किए गए अन्य उपायों के संबंध में जागरूकता पैदा करना और प्रचार:** यह प्रावधान सिडबी के माध्यम से स्टैंडअप इंडिया के लिए प्रचार और जागरूकता के लिए है।

30. **फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी निधि (एनसीजीटीसी के द्वारा):** यह प्रावधान फैक्टरिंग के लिए क्रेडिट गारंटी हेतु है।

32. **प्राथमिक साख गारंटी स्कीम (पीसीजीएस) के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को प्रभावी बनाने पर दावों के निपटान हेतु ऋण:** बैंकों को पीसीजीएस लागू किए जाने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में उन्हें ऋण प्रदान किया गया।

33. **विशेष लिक्विडिटी स्कीम (एसएलएस) के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को प्रभावी बनाने पर दावों के निपटान हेतु ऋण:** सरकार द्वारा विशेष लिक्विडिटी स्कीम (एसएलएस) के तहत दी गई गारंटी के इस्तेमाल पर दावों के निपटान के लिए ऋण।

34. **शिशु ऋण के तुरत पुनर्भुगतान (सस्मिडी) पर 2 प्रतिशत के ब्याज आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडबी) को सस्मिडी:** शिशु ऋण (आर्थिक सहायता) के त्वरित भुगतान के लिए 2 प्रतिशत के ब्याज की आर्थिक सहायता पर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा आर्थिक सहायता।

35. **एनएबीएफआईडी को पूंजी सहायता:** अवसंरचना तथा विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक को पूंजीगत सहयोग: अवसंरचना एवं विकास के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक के पूंजीकरण हेतु।

36. **लोन स्थगन हेतु संयोजित ब्याज सहायता स्कीम:** ऋण स्थगन हेतु संयोजित ब्याज सहायता योजना: ऋण के स्थगन के लिए संयोजित ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए।

37. **पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए):** पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए): यह प्रावधान पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) को सहायता अनुदान (सामान्य) और (वेतन) के लिए है।